

कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैकटर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-झी-टीन-10030/८३०४

दिनांक: ४-१२-२०२१

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार।

विषय: Diversion of 0.1923 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, P.H. Engg. Divn. No. 4, Hansi for permission of laying 400 mm o/d SWP Pipe for Sewer Line, on along Siwani Branch Canal from R/way Colony Road to Bhiwani road, Hansi Town, under forest division and District Hisar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/119096/2021

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 890 दिनांक 01.09.2020।


कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भाक्ति पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-२-२०१६/८४३० दिनांक ६-५-२०१६ की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.1923 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है:-

- (i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए।
- (iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी।
- (iv) “अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006” की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें।
3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा।
 - (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - (ii) इस प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा।
 - (iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
 - (iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन०पी०वी० की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।
 - (v) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।
 - (vi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
 - (vii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
 - (viii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।
 - (ix) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
 - (x) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

- (xi) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
- (xii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्मों द्वारा चिह्नित की जाएंगी । प्रत्येक खम्मे पर कम संख्या, डी०जी०पी०ए०१० निर्देशांक तथा एक खम्मे से दूसरे खम्मे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।
- (xiii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।
- (xiv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xv) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (xvi) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।
- (xvii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xviii) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
- (xix) यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।
4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।
अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
 पंचकुला १५.०५.२०२१



प्रतिलिपि :—

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, हिसार ।
3. Executive Engineer, PHE Divn. No. 4, Hansi